

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

भाग- ॥

सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या:-

7	परियोजना स्कीम का स्थान	:-	कुनारा पासा नहर निर्माण कार्य, तहसील मोरी, जिला उत्तरकाशी।
(i)	राज्य संघ शासित क्षेत्र	:-	उत्तराखण्ड
(ii)	जिला	:-	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	:-	टौंस वन प्रभाग, पुरोला
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र (है0 में)	:-	0.2040 है0 0.6900 4
(v)	वन की कानूनी स्थिति	:-	आरक्षित वन भूमि
(vi)	हरियाली का घनत्व	:-	0.4 से अधिक है।
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना संलग्न की जाय। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के सम्बन्ध में एफ0आर0एल0-4 मीटर भी संलग्न किया जाय।	:-	परियोजना के निर्माण से कोई वृक्ष प्रभावित नहीं होगा।
(viii)	भू-क्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी	:-	संवेदनशील क्षेत्र नहीं है
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल से वन की सीमा की अनुमानित दूरी	:-	योजना वन भूमि के अन्दर क्रियान्वित होगी।
(x)	क्या प्रस्तावित क्षेत्र फार्म राष्ट्रीय उद्यान वन्यजीव अभ्यारण, जैवमण्डल रिजर्व हाथी कोरीडोर आदि का भाग है (यदि हॉ तो क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणीयां अनुबन्धित की जाय)	:-	नहीं
(xi)	क्या क्षेत्र की वनस्पति और प्राणीजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पाई जाती हैं/तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा दें।	:-	नहीं

परियोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

	(xii) क्या सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वूर्ण स्माकरण क्षेत्र में स्थित है। यदि हॉ तो तत्सम्बन्धी व्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।	:-	नहीं
8	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग-1 कॉलम-2 में प्ररतावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। यदि नहीं हो जॉचे गये विकल्पों के साथ मदवार संस्तुति क्षेत्र क्या है।	:-	प्रस्तावित भूमि न्यूनतम एवं अपरिहार्य है। इसके अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है।
9	क्या वन अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हॉ/नहीं) यदि हॉ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दे क्या उल्लंघन सम्बन्धी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	:-	नहीं
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	:-	
	(i) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र, आस-पास के वन से इनकी दूरी भू-खण्डों की संख्या प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	:-	संलग्न है।
	(ii) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेत्तर/अवक्रमित वन क्षेत्र आस-पास की सीमाओं को दर्शाता मैप	:-	संलग्न है।
	(iii) रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेन्सी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।	:-	संलग्न है।
	(iv) प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	:-	संलग्न है।
	(v) प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण	:-	संलग्न है।

प्रयोजना का नाम:- कुनारा - पासा नहर निर्माण कार्य

	से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (सम्बन्धित उपवन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय।)		
11	जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट :- विशेषतः उपर्युक्त कॉलाम (xi, xii) 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)		संलग्न है।
12	(i) जिला का भौगोलिक क्षेत्रफल :- (ii) जिला का वन क्षेत्रफल :- (iii) मामले की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र। (iv) 1980 से जिला / प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि (ख) वनेत्तर भूमि पर अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुयी प्रगति (क) वन भूमि पर। (ख) वनेत्तर भूमि पर।		84479.245 है। (टौस वन प्रभाग, पुरोला) 62208.97 है। (टौस वन प्रभाग, पुरोला) 61 मामले / 147.818 है। 150.629 है। 13.80 है। — 138.23 है। —
13	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के सम्बन्ध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।		प्रस्ताव को स्वीकृत करने की संस्तुति की जाती है।

दिनांक:- 05/06/2013

स्थान:- पुरोला

हस्ताक्षर

प्रभागीय वनाधिकारी

टौस वन प्रभाग

पुरोला (वन संरक्षण)